21 अगस्त, 2020 सरकारी आदेश 2020-52

सरकारी आदेश 2020-52
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या 48)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 215,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसने हजारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहा है और इसके अनुरूप स्वयं को ढाल रहा है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है और यह कि अभी-भी इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल कर्ताओं, प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका निर्णायक पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि,7,850 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरे में डाल रहा है; और,

जबकि, 21 अगस्त, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं सरकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, और 2020-51 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूं और उन सरकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा सम्मिलित करता हूं;

अतः इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप , मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 21 अगस्त , 2020 से प्रभावी होगा:

भाग 1: सरकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।

सरकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, और 2020-51 को इस सरकारी आदेश 2020-52 द्वारा निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

सरकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) सेंटर का बंद होना ; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी छुट्टी आवश्यकता का त्याग):

सरकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कोई भी बात केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने/के लिए कार्य करने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फ़ूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन सेंटर में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करती है।

सरकारी आदेश 2020-07 (व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मिलने की आवश्यकताएं):

सरकारी आदेश 2020-33 और सरकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को **19 सितम्बर, 2020** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

सरकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):

सरकारी आदेश 2020-39 और सरकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 2, 3, 4 और 5 को **19 सितम्बर, 2020** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

सरकारी आदेश 2020-09 (टेलिहेल्थ):

सरकारी आदेश 2020-09, नीचे अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित,को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 2. 19 मार्च, 2020 से प्रारंभ करके और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान जारी रखते हुए, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का तेजी से उपचार करने की अनुमति देने के लिए, एवं इलिनॉय राज्य के रहवासियों पर इसके प्रभाव को कम-से-कम करने के लिए, बीमा विभाग द्वारा विनियमित सभी स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं के लिए इसके द्वारा आवश्यक किया जाता है कि वे इन नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी की लागत को कवर करें जिसके द्वारा बीमाधारक, नामांकित, और सदस्यों को प्रत्येक पॉलिसी, अनुबंध या स्वास्थ्य बीमा कवरेज के प्रमाण पत्र के तहत चिकित्सकीय रूप से उचित और आवश्यक रूप से कवर की गई सेवाएं और उपचार दिए जाते हैं। जारीकर्ता टेलिहेल्थ सेवाओं के लिए उचित आवश्यकताएं और मापदंड स्थापित कर सकते हैं, जिसमें प्रलेखन और रिकॉर्डकीपिंग भी शामिल है, जो इस सरकारी आदेश के या कंपनी के किसी भी बुलेटिन के अनुरूप हो जिसे बाद में इस सरकारी आदेश के तहत बीमा विभाग द्वारा जारी किया गया हो। जारीकर्ता की आवश्यकताएं और मानदंड प्रदाताओं, बीमाधारकों, नामांकितों या सदस्यों के प्रति अधिक प्रतिबंधात्मक या कम अनुकूल नहीं हो सकते हैं, उनकी तुलना में जो कि ~~आपातकालीन~~ नियम निर्माण में शामिल हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा और परिवार सेवा विभाग (Department of Healthcare and Family Services) द्वारा 89 इलिनॉय प्रशासन कोड 140.403(e) पर बनाया गया है। टेलिहेल्थ सेवाओं के लिए बिलिंग करने हेतु आवश्यक किसी भी निर्देश के बारे में जारीकर्ता प्रदाताओं को सूचित करेंगे।

<u>सरकारी आदेश 2020-11 (पूर्ववर्ती सरकारी आदेशों का पुनरीक्षण; सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):</u>

सरकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि:</u>

सरकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):</u>

सरकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):</u>

सरकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भाग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):</u>

सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित सरकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

<u>सरकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):</u>

सरकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स) के कैदियों का अवकाश):</u>

सरकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-22 (टाउनशिप बैठकें; फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड; बाल देखभाल अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्लेसमेंट्स ; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):</u>

सरकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 4, 5, और सेविंग्स क्लॉज़ को पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्रवाइयां):</u>

सरकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) न्यायिक उपचार कार्यक्रम (फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:</u>

सरकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):</u>

सरकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):</u>

सरकारी आदेश 2020-26 के अनुभागों 2, और 6, 7, 8, 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं 19 सितम्बर, **2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):</u>

सरकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):</u>

सरकारी आदेश 2020-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का व्यक्तिगत शिक्षण या परीक्षा):</u>

सरकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन की कार्रवाइयों की फाइलिंग ; -आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग: :</u>

सरकारी आदेश 2020-30 जैसा कि सरकारी आदेश 2020-48 द्वारा संशोधित है, और जैसा कि नीचे अनुसार और भी संशोधित और पुनरीक्षित किया गया है को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>अनुभाग 3. इलिनॉय राज्य के सभी राजकीय, काऊँटी, और स्थानीय क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों को गैर-आवासीय परिसर में से निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन को रोकने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष ख़तरा नहीं हो, जब तक कि संपत्ति को तत्काल कोई गंभीर ख़तरा नहीं हो, या किसी उपयुक्त निर्माण कोड, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो।</u> इस सरकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति को किराए का भुगतान करने, <u>बंधक भुगतान करने,</u> या लीज, किराया समझौता, या बंधक के कारण किसी व्यक्ति पर होने वाले किसी दायित्व को पूरा करने से छूट नहीं देता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-34 (भांग संबंधी आवश्यकताएं):</u>

सरकारी आदेश 2020-48 का वह प्रावधान जो सरकारी आदेश 2020-34 की धारा 2 को रद्द करता है, जैसा कि 22 अगस्त की स्थिति है, उस प्रावधान को हटा दिया गया है। सरकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एक्टिविटीज):</u>

सरकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16, और 17 को पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंस)):</u>

सरकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):</u>

सरकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):</u>

सरकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):</u>

सरकारी आदेश 2020-43 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-45 (भांग (कैनबिस) लाइसेंस):</u>

सरकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और जैसा कि सरकारी आदेश 2020-45 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, प्रभावशील रहेगा।

<u>सरकारी आदेश 2020-47 (प्रीK-12 स्कूलों में व्यक्तिगत निर्देश):</u>

सरकारी आदेश 2020-47 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेल से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू):</u>

सरकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>सरकारी आदेश 2020-51 (मेट्रो पूर्व क्षेत्र शमन):</u>

सरकारी आदेश 2020-51 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **19 सितम्बर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>भाग 2: सेविंग्स क्लॉज़)</u> यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),
राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 21 अगस्त, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 21 अगस्त, 2020